

**भारतीय पुनर्वास परिषद्**  
बी-22, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया  
नई दिल्ली- 110016

सं. 5-14/2017- आर.सी.आई.

दिनांक: 09.05.2017


**आदेश**

तत्कालिक प्रभाव से परिषद् कार्यालय में धूम्रपान, गुटखा, पान मसाला आदि का सेवन प्रतिबन्धित किया जाता है।

सभी कर्मचारियों/अधिकारियों एवं आगन्तुकगण से अपेक्षित है कि उपरोक्त आदेश का अनुपालन करके परिषद् कार्यालय को स्वच्छ बनाये रखने में सहयोग करें।

इस आदेश का उल्लंघन करने पर रु. 500/- दण्ड एवं अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपनिदेशक प्रशासन श्री विकास कुमार चौहान को उत्तरदायी बनाया जाता है।

  
(एस. के. श्रीवास्तव) 9.5.17  
सदस्य सचिव

प्रतिक्रिया :

- (I) अध्यक्ष महोदय को अवलोकनार्थ
- (II) परिषद् के सभी अधिकारी / कर्मचारी को अवगतार्थ
- (III) परिषद् भवन के स्थित पर या वहाँ प्रत्येक तल पर चर्या करनी है
- (IV) RCI website.